

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या— उ0सं0वि0—26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004,
जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है,
के क्रम में औरंगाबाद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें
निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- 1 जिला समाहर्ता — अध्यक्ष
- 2 जिला आपूर्ति पदाधिकारी — सदस्य सचिव
- (क) जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
 3. जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य सदस्य
 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य सदस्य
- (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
 5. उप विकास आयुक्त — सदस्य
 6. जिला शल्य चिकित्सक — सदस्य
 7. जिला कल्याण पदाधिकारी — सदस्य
 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी — सदस्य
 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम — सदस्य
 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् — सदस्य
 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन — सदस्य
- (ग) महिला प्रतिनिधि—
 1. श्रीमति सारिका सिंह, — सदस्य
पति— श्री राजीव कुमार सिंह,
पता— लाल देव कम्पलेक्स, श्री कृष्ण नगर, अहरी,
औरंगाबाद
 - श्रीमति रंजु देवी, — सदस्य
पति— श्री राजेन्द्र सिंह,
पता— न्यू एरिया, औरंगाबाद
- (घ) स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि
 1. श्री अनिल कुमार गिरी, प्रगति ग्रामीण विकास संगठन — सदस्य
पता— ग्राम+ पो0—वार,
प्रखण्ड—मदनपुर, जिला— औरंगाबाद
 - श्री भरत ठाकुर, प्रियंका स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, — सदस्य
पता— मुख्य बाजार, ठाकुर रोड,
मदनपुर, जिला— औरंगाबाद

/

